न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 30/2023 बउनवानी बी.एस.शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0 32ए, राजबिहार कॉलोनी, राजकीय कन्या महाविद्यालय के पास स0मा0

GCMS No-2023/69

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19.7.2023	

पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.03.2023 लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:–

1. यह कि कार्यालय जिला कलेक्टरस0मा0 का पत्र कमांक/एफ.3(2)12(55)होटल /राजस्व/91/4370 दिनांक 11.7.2011 के अनुसार आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.5.2011 की छायाप्रति एवं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर अतिकमण भू–माफिया गलत भूमि रूपान्तरण एवं पद के दुरूपयोग के संबंध में सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर को प्रेषित रिपोर्ट पत्रांक प.सम/4029 दिनांक 27.6.2011 की छायाप्रति तथा उक्त प्रेषित रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट–61 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित की गयी है आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं परिशिष्ट 1ल.61 की समस्त प्रति, पत्र में संलग्न उक्तानुसार किता–109 की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध करावें।
2. यह कि कार्यालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र कमांक 926 दिनांक 20.2.2023 के संशोधित आदेश इस कार्यालय के आदेश संख्या सम/3628–36 दिनांक 6.9.1993 के साथ श्रीमान तहसीलदार स0मा0 की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.7.1992 एवं 27.8.1993 के अनुसार ख0न0 578/1828 एवं 577 की भूमि किस्म की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
3. यह है कि प्रस्तावित मानचित्र वर्तमान स्थिति अनुराग रिसोर्ट, रणथम्भोर रोड के आस–आस के क्षेत्र सवाईमाधोपुर की खसरा नं. सहित मानचित्र छायाप्रति श्रीमान उप पंजीयक एवं मुद्रांक,स0मा0 के हस्ताक्षर युक्त एवं कार्यालय अधीक्षक कलेक्ट्रेट सवाईमाधोपुर द्वारा जारी मानचित्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2023 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की मानते हुए उपलब्ध नही करवायी जा रही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये जवाब नोटिस कमांक एफ.13(1)(36)/सूकाअ/2023/2364 दिनांक 12.7.2023 से अवगत करवाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 27.3.2023 मे बिन्दु संख्या 1 से 3 पर चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष की एवं अस्पष्ट होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है जिसके संबंध में जरिये पत्रांक 2033 दिनांक 12.4.2023 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं प[illegible] उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस [illegible] बिन्दु संख्या 1 की सूचना में विस्तृत लोकहित प्रकट नही होता [illegible] एवं तृतीय पक्ष की [illegible]ना होने के कारण दिया जाना आवश्यक नही है तथा बिन्दु संख्या 2 व 3 [illegible] होने के कारण [illegible] आवश्यक नही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की [illegible] है। पत्रावली फैसल शु[illegible]कर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested